भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5860

(सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर व्यय का क्षेत्रीय वितरण

5860. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कार्यरत कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के क्षेत्रीय वितरण की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान कुल राष्ट्रीय सीएसआर व्यय में असम का कितने प्रतिशत हिस्सा है;
(ग) क्या चुनिंदा जिलों में सीएसआर निधि का कम उपयोग या अत्यधिक उपयोग पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) असम के पिछड़े और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं का समान और आवश्यकता आधारित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों में किए गए कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम की धारा 135(5) के पहले परंतुक में यह प्रावधान है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्रों जहां वह संचालित होती है, को वरीयता देगी। तथापि, स्थानीय क्षेत्र पर जोर केवल निर्देशात्मक है और प्रकृति में अनिवार्य नहीं है और कंपनियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय क्षेत्र वरीयता को संतुलित करने की आवश्यकता है। सरकार किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कारपोरेटस् को कोई निर्देश जारी नहीं करती है।
उपर्युक्त विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कोई विशिष्ट समीक्षा नहीं की है।
(ख): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान असम में सीएसआर व्यय अनुलग्नक में है।

(ग) & (घ): उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर को देखते हुए स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

अनुलग्नक

दिनांक 30.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5860 के भाग (ख) से संदर्भित
वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक असम में सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
असम	285.00	180.23	406.42	474.96	488.62
भारत में कुल सीएसआर व्यय	24,965.82	26,210.95	27,141.45	30,932.08	34,908.75

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए थे या एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया, परियोजनाएं शुरू की गई थीं।
